

कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी अछनेरा, आगरा

पत्रांक / 12 / 2026-27

दिनांक— 07/04/2026

प्रबंधक / प्रधानाचार्य

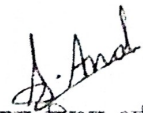
ST MARYS CONVENT SCHOOL

विषय— निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) (ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह के दुर्बल वर्ग के बच्चों को शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश कराये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक महानिदेशक (स्कूल शिक्षा) महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या आर0टी0ई0 / न0प्र0-02 / 8056 / 2025-26 दिनांक 17.01.2026 व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा के पत्रांक संख्या 8241 / 2025-26 दिनांक 21.02.2026 व 8817-23 / 2025-26 दिनांक 12.03.2026, के द्वारा प्राप्त हुए निर्देश के अनुपालन में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) (ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह के दुर्बल वर्ग के बच्चों को शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु निकाली गई लॉटरी के माध्यम से अर्ह छात्र/छात्रा की सूची निम्नवत छात्र/छात्रा का चयन प्रवेश हेतु आपके विद्यालय में हुआ है।

Registration ID	Student Name	CLASS	GENDER	Alloted School	UDise Code
146636	MANVI	UKG	FEMALE	ST MARYS CONVENT SCHOOL	9154100794
338542	HIMANSHU TOIAR	UKG	MALE	ST MARYS CONVENT SCHOOL	9154100794
358728	ATIFA	LKG	FEMALE	ST MARYS CONVENT SCHOOL	9154100794
359523	HUMAIRA	NURSERY	FEMALE	ST MARYS CONVENT SCHOOL	9154100794
368442	RIYA	LKG	FEMALE	ST MARYS CONVENT SCHOOL	9154100794
398586	DIVYANSH	LKG	MALE	ST MARYS CONVENT SCHOOL	9154100794
420676	RUDRA SINGH	UKG	MALE	ST MARYS CONVENT SCHOOL	9154100794
495350	RISHABHA	UKG	MALE	ST MARYS CONVENT SCHOOL	9154100794
499282	ATUL CHAUDHARY	NURSERY	MALE	ST MARYS CONVENT SCHOOL	9154100794
539987	FALESH SINGH	LKG	MALE	ST MARYS CONVENT SCHOOL	9154100794

अतः उक्त के अनुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र में अंकित छात्र/छात्रा के ऑनलाइन आदेदन पर के सलग्न अभिलेखों का अवलोकन करते हुए पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बंधित छात्र/छात्रा को नियमानुसार निशुल्क प्रवेश कराते हुये कृते कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरों को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। ध्यान रहे की शासन की उक्त महत्वपूर्ण योजनाओं में दिए दिशा- निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित विद्यालय प्रबंधक शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की विभिन्न धाराओं व उपनियमों में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत मान्यता प्रत्याहरण सहित अन्य विभागिय कार्यवाही हेतु दोषी होगा। तदनुसार अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जाएगी।


खण्ड शिक्षा अधिकारी
अछनेरा, आगरा

प्रतिलिपी:— सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महोदय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा

St. Mary's Convent School
Kadwai Runkata,

Manager

St. Mary's Convent School
Kadwai Runkata,

Principal

खण्ड शिक्षा अधिकारी
अछनेरा, आगरा

Scanned with OMR Scanner